भारत सरकार
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3382
(दिनांक 12.07.2019 को उत्तर देने के लिए)

न्यायालय कार्यवाही का सीधा प्रसारण

3382. श्री अक्षयवर लालः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का न्यायालय की कार्यवाही का सीधा प्रसारण करने की व्यवस्था करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस तरह की व्यवस्था उत्तर प्रदेश राज्य में कब तक चालू किए जाने की संभावना है; और

(ग) ऐसी व्यवस्था को चालू करने के लिए अतिरिक्त वित्तीय निहितार्थों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन तथा सूचना और प्रसारण मंत्री
(श्री प्रकाश जावड़ेकर)

(क): भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2017 की रिट याचिका (सिविल) सं. 1232 और अन्य संबंधित मामलों में दिनांक 26.09.2018 को अपने निर्णय के तहत भारत के उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायिक परिणामों और कार्यवाहियों की लाइव स्ट्रीमिंग के लिए सहमति दी है। इसे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपनी रजिस्ट्री के माध्यम से इस उद्देश्य के लिए नियमावली और दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यान्वित किया जाएगा।

(ख): भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के पूर्वोक्त निर्णय केवल उच्चतम न्यायालय की अदालती कार्यवाहियों की लाइव स्ट्रीमिंग तक ही सीमित है।

(ग): निर्णय का कार्यान्वयन भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा किया जाएगा।

****